

समाचार

मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अमल

निगम को वार्डों में विकास कार्यों हेतु शासन से मिली 10 करोड़ रु. की स्वीकृति

(मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कोरबा प्रवास पर राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने रखी थी मांग, सांसद व नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया था समर्थन, महापौर ने किया आभार व्यक्त)

कोरबा 16 जून 2021 –प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोरबा प्रवास के दौरान की गई घोषणा के तहत राज्य शासन द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा के सभी वार्डों में विकास कार्य कराए जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से निगम के सभी वार्डों में नए विकास कार्य होंगे तथा आमजन की विकास संबंधी मांग पूरी होंगी।

यहां उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कोरबा प्रवास के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा निगम के सभी वार्डों में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से राशि की मांग करते हुए स्वीकृति की घोषणा किए जाने का आग्रह किया गया था, वहीं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत एवं नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के द्वारा इस मांग को अपना समर्थन दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निगम को 10 करोड़ रुपये वार्डों में विकास कार्य हेतु दिए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के परिपालन में संचालनालय एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा निगम को 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने निगम के वार्डों के विकास कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के प्रति आभार व्यक्त किया है। महापौर श्री प्रसाद ने कहा है कि निगम के विभिन्न वार्डों में रोड, नाली, नाला, सामुदायिक भवन, मंच, बाउण्ड्रीवाल, शेड, मुक्तिधाम, पेविंग, सड़क डामरीकरण, कलवर्ट, सीवर लाईन, अहाता, सार्वजनिक पण्डाल, सांस्कृतिक मंच, नदी में पचरी निर्माण सहित अन्य विभिन्न विकास व निर्माण कार्यों हेतु यह राशि प्राप्त हुई है, इस राशि के प्राप्त होने से निगम के विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा वार्डों में जनसमस्याओं व उनकी आवश्यकताओं से संबंधित विकास व निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे।